(18)

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(छत्तीसगढ़ के लिए क्षेत्रीय कार्यालय)

(REGIONAL OFFICE FOR CHHATTISGARH)

आर-26,अवन्ति विहार, सेक्टर-2, पो.रविग्राम, रायपुर 492006 (छत्तीसगढ़)

R-26, Avanti vihar,Sector-2, post-Ravi gram, RAIPUR-492006(Chhattisgarh)

टेलीफैक्स Telefax:
0771-2443335
0771-2443334

पत्र कमांक:22/32/2008 दिनांक:06/01/2009

प्रति,

श्री आदित्य मिश्रा,
संयुक्त सचिव,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
भारत सरकार,
6 वीं मंजिल, "बी" विंग,
लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

विषयः आदिवासी युवती के द्वारा नक्सली बनकर अन्याय का प्रतिशोध लेने की धमकी संबंधी ।

संदर्भः मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, रायपुर को सम्बन्धित आपका अर्धशासकीय पत्र कमांक DSJ/Atrocity/CG/404/RU-III, दिनांक 11/11/2008.

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त पत्र की प्रति आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय

वास्ते सहायक निदेशक

स्पाड पाउच
गोपनीय/तत्काल

छत्तीसगढ़ शासन
गृह विभाग, सी–अनुभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
–0–

क्रमांक–एफ–4–233/गृह–सी/2008 रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008

प्रति,

उप निदेशक,
भारत सरकार,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
(क्षेत्रीय कार्यालय), R–26, अवन्ति विहार,
सेक्टर–2, पो. रविग्राम, रायपुर–492006
(छत्तीसगढ़)।

12/12/08

विषयः– राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कार पत्र– आदिवासी युवती के द्वारा नक्सली बनकर अन्याय का प्रतिशोध लेने की धमकी संबंधी।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक No/22/32/2008–अत्याचार, दिनांक 27.11.08

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। तत्संबंध में प्रतिवेदन इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 04.09.08 द्वारा सहायक निर्देशक, भारत सरकार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

6.12.08
(आर0एल0 लिखाटे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
गृह विभाग, सी–अनुभाग

पृं.क्रमांक–एफ–4–233/गृह–सी/2008 रायपुर, दिनांकः दिसम्बर, 2008

प्रतिलिपिः–

संयुक्त सचिव, भारत सरकार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली–110003 की ओर उनके पत्र क्रमांक– DSJ/Atrocity/CG/404/RU-III. Dated: 11.11.08 की के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

6.12.08
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
गृह विभाग, सी–अनुभाग

राष्ट्रीय अनु. जाति/अनु. जनजाति आयोग
प्राप्ति/Receipt...765...
दिनांक....12/12/08....

SDITYA HOME-C-13

छत्तीसगढ़ शासन,
गृह विभाग, सी–अनुभाग,
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

---00---

कमांक/एफ 4/223 /गृह सी/2008 रायपुर,दिनांक 4 सितम्बर 2008

प्रति,

सहायक निदेशक,
भारत सरकार,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली– 110003

विषयः– राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का पत्र– आदिवासी युवती के द्वारा नक्सली बनकर अन्याय का प्रतिशोध लेने की धमकी संबंधी।

संदर्भः– आपका पत्र कमांक DSJ/Atrocity/CG/2008/404/RU-III दिनांक 03.06.08।

---00---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। विषयान्तर्गत शिकायत प्रकरण की पुलिस अधीक्षक जिला जशपुर द्वारा जॉच कराई गई। जॉच प्रतिवेदन अनुसार प्रार्थिया कु0 आशा उरांव एवं अन्य गवाहों से पूछताछ की गई जिसमें प्रार्थियां के पिता सरवासियुस पहले ईसाई धर्म को मानते थे, बाद में वे हिंदु धर्म को मानने लगे, जिससे कि उनका चर्च में आना–जाना कम हो गया। समुदाय वाले धार्मिक मीटिंग में दुख–सुख, खान–पान में सरवासियुस एवं उसके परिवार वालों को आमंत्रित करते है। परिवार वाले आते–जाते है। किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, गांव में रोजी मजदूरी एक साथ करते है। शिकायत के अनुसार वर्ष 1984 में कैथोलिक चर्च केरसई द्वारा प्रार्थिया के पिता सरवासियुस को चर्च नहीं आने–जाने का आरोप लगाते हुए 200/– अर्थदंड लगाया गया था। इस संबंध में सरवासियुस द्वारा बताया गया कि 200/– रूपये का अर्थदंड नहीं दिया है, इस संबंध में केरसई चर्च के फादर ने भी बताया कि किसी व्यक्ति को चर्च नहीं आने–जाने पर उसे आर्थिक दंड नहीं दिया जाता है। इस संबंध में सरवासियुस के भाई से पूछताछ की गई उन्होंने बताया कि कभी भी आर्थिक दंड नहीं सुनाया गया है, और नहीं लिया गया है। बल्कि उसके चर्च नहीं आने–जाने का कारण पता किया गया। परंतु सरवासियुस के परिवार वालों को आने–जाने से कभी नहीं रोका गया है। प्रार्थिया कु0 आशा उरांव ने बताया कि पिछले वर्ष दिनांक 18.10.07 को बड़े पिता ब्लासियुस उरांव के पुत्र किशोर तिर्की ने उसके साथ मारपीट कर छेड़छाड़ किया, जिसकी रिपोर्ट थाना तपकरा में की थी। थाना तपकरा में किशोर तिर्की के विरूद्व अप0क्र0 84/07 धारा 354, 323 ताहि का अपराध पंजीबद्व कर अपराधी को गिरफ्तार कर दिनांक 22.10.07 को चालान न्यायालय में पेश किया गया। इस घटना से प्रार्थिया नाराज होकर लिखित शिकायत उच्च अधिकारियों को ईसाई समाज द्वारा उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए नक्सली बनकर आतंक फैलाने की धमकी दी है। प्रार्थिया द्वारा शिकायत पत्र पुरसे में आकर दिया जाना बताया। किसी ईसाई समाज द्वारा झगड़ा नहीं किया जा रहा है। प्रार्थियां कु0 आशा उरांव द्वारा छेड़छाड़ एवं मारपीट की व्यक्तिगत घटना से नाराज होकर ईसाई समुदाय के विरूद्व प्रताड़ित करने का आरोप सत्य नहीं पाया गया।

(आर0एल0लिखाटे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग

C/C